न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या 258 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012 / 00101

वादीयागण

1 शांताबेन पुत्री श्री करणपुरीजी
पत्नी छोगाजी भारती, कौम–स्वामी
निवासी–चोगड़ा, तहसील–थराद
जिला–बनासकांठा, गुजरात

2 शोभाग पत्नी श्री करणपुरीजी
पत्नी शांतिवन, कौम–गौस्वामी
साकिन–करबोण, तालुका–थराद

3 हीराबेन पुत्री श्री करणपुरीजी
पत्नी गोविन्द भारती, कोम–गौस्वामी
साकिन–चोगड़ा, तालुका–थराद
जिला–बनासकांठा, गुजरात

बनाम

प्रतिवादीगण

1 गुलाबपुरी पुत्र श्री रामपुरी
कौम–गौस्वामी, साकिन–
वातड़ाउ, तहसील–थराद
जिला–बनासकांठा, गुजरात

2 मोहनपुरी पुत्र श्री रामपुरीजी
कौम–गोस्वामी, साकिन–अचलपुर
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
के कायम मुकाम

1 श्रीमती झमकु देवी बेवा (पत्नी)
मोहनपुरी जी गौस्वामी

2 महेशपुरी पुत्र श्री मोहनपुरीजी
गोस्वामी, साकिनान–अचलपुर

3 सुरीदेवी पुत्री मोहनपुरी, पत्नी
प्रवीणगर, ग्राम–गणता, तहसील–
थराद, जिला–बनासकांठा, गुजरात

4 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर

5 व्यवस्थापक जालोर भूमि विकास
सहकारी बैंक शाखा सांचौर

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 22.08.2012

उपस्थिति :–

1. वादीयागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़ि[illegible] उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.01.2025

वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके सरहद मौजा–अचलपुर में खेत खसरा संख्या 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मुमकिन बैरा, खसरा संख्या 499 रकबा 8.63 हैक्टेयर जाव व चाही दोयम है जिसके पुराने खसरा नंबर 249 रकबा 53 बीघा 8 बिस्वा है, व वाके सरहद मौजा कैलाश नगर पटवार हल्का–अचलपुर के खेत खसरा नबर 1115 रकबा 4.67 हैक्टेयर जाव व चाही दोयम तथा खसरा संख्या 1115/1244 रकबा 0.01 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नंबर 539 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा है। जो प्रथम सेटलमेंट से हम वादीगण 1 लगायत 3 के पिता करणपुरी पुत्र नवलपुरी स्वामी साकिन–अचलपुर के नाम से थी। द्वितीय सेटलमेंट के बाद में अचलपुर गांव का नया गांव कैलाश नगर सृजित हुआ है जो अचलपुर गांव का ही नया बना है। हमारे पिता स्व. करणपुरी पुत्र नवलपुरी स्वामी साकिन अचलपुर प्रांरभ से उक्त खेतों के खातेदार, काश्तकार अपने जीवन भर रहे है और उनका इस भूमि पर वास्तविक अधिपत्य रहा है लगान भी करणपुरी अदा करते रहे है। करणपुरी के स्वर्गवास होने के बाद उनकी पत्नी जमनादेवी एवं करणपुरी की तीनों पुत्रियां वादीगण संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा बहैसियत काश्तकार कथित भूमि है। करणपुरी की मृत्यु के पश्चात कथित भूमि पर वादीगण आज दिन तक काश्त करते आए है। वादीगण संख्या 1 लगायत 3 की शादी के बाद बरसात के समय कथित भूमि पर काश्त करने के लिए आती रही है। करणपुरी की पत्नी कथित भूमि पर निवास करती थी तथा खेत में ओरे ढाणी बनाए हुए है। पशुओं को बांधने के लिए बाड़े वगैरा बनाए हुए है जो मौके पर मौजूद है। इस प्रकार कथित भूमि के समस्त खातेदारी हकहकूक करणपुरी की पत्नी जमनादेवी एवं उनकी तीनों पुत्रियां वादीगण संख्या 1 लगायत 3 भोगते आए है। करणपुरी की मृत्यु के समय हम वादीगण तीनो पुत्रियां नाबालिग थी तथा करणपुरी की पत्नी जमना देवी अनपढ थी। करणपुरी के परिवार में करणपुरी की मृत्यु के बाद उनके पिछे वारीसदार पत्नी जमनादेवी एव हम तीनों वादीगण तीन पुत्रियां थी। अब करणपुरी और उनकी पत्नी हमारी माता जमनादेवी का देहान्त होने के बाद हम वादीगण 1 लगायत 3 पुत्रियां जायन्दा वारीसदार है। करणपुरी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से घर का कोई भी छोटा मोटा कार्य करणपुरी के भाई रामपुरी के पुत्र गुलाबपुरी प्रतिवादी संख्या एक एवं मोहनपुरी प्रवितादी संख्या 2 किया करते थे। हम वादीगण की शादियां होने के बाद हमारी माता जमना देवी अकेली रहती थी, जिस कारण से प्रतिवादी संख्या एक और 02 को उक्त भूमि को पांति पर काश्त के लिए जमनादेवी देती थी। प्रतिवादीगण ने बिना किसी आधार के विधिविरूद्व जाकर कथित भूमि का बंटवाड़ा कर दिया है जिसमें अचलपुर की कथित भूमि को मोहनपुरी के नाम से किया तथा केलाशनगर की भूमि को गुलाबपुरी के नाम से करवा दिया है। करणपुरी की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में करणपुरी की पत्नी जमनादेवी एव हम तीनों पुत्रियां नामान्तरकरण करवाने का कार्य भी प्रतिवादी संख्या 01 और 02 ने किया था। करणपुरी की पत्नी जमनादेवी हमारी माता को पटवारी के पास में नामान्तरकरण के लिए प्रतिवादी संख्या 01 गुलाबपुरी व 02 मोहनपुरी लेकर गए थे। लेकिन प्रतिवादी संख्या एक व दो ने करणपुरी के उतराधिकारी इनकी पत्नी और पुत्रियां का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के बजाय पटवारी से मिलावट कर स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया है जो गलत है। जबकि करणपुरी की मृत्यु के बाद हमारी माता और हम वादीगण उतराधिकारी थी। जिसका ज्ञान हमारी माता जमनादेवी की मृत्यु दिनांक 02.08.2012 को होने के बाद हुआ है। करणपुरी की पत्नी [illegible] थी। हम वादीगण नाबालिग थी। नजदीक रिश्तेदारों में करणपुरी [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 और 02 थे जिन पर विश्वास किया जा सकता था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 और 02 ने विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण संख्या 162 के तहत स्वयं का नाम इन्द्राज करवा कर विश्वासघात किया है। जो [illegible]न्तरकरण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विरूद्व होने से काबिल खारिज है। करणपुरी की पत्नी जमनादेवी का देहान्त दिनांक 02.08.2012 को हो गया है। हाल ही में वादीयागण को यह ज्ञात हुआ कि कथित भूमि राजस्व रेकर्ड में गुलाबपुरी और मोहनपुरी प्रतिवादी संख्या 01 और 02 नाम दर्ज है। यह ज्ञात होने पर वादीयागण ने कथित भूमि के राजस्व रेकर्ड संबंधित दस्तावेज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

प्रतिलिपि प्राप्त की तब इस पुरे षड़यंत्र का पता चला कि प्रतिवादी संख्या 01 और 02 ने पटवारी से मिलावट कर करणपुरी की पुत्रियां हम वादीगण और पत्नी जमनादेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के बजाय स्वयं का नाम दर्ज करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या एक और दो ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया कि श्री करणपुरी के कोई औलाद नहीं है तथा स्वयं ने करणपुरी के सगे भाई के पुत्र होने से उतराधिकारी बन अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवा दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या एक और दो नियम विरूद्व जाकर अवैध और गैर कानूनी रूप से राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवाए है जो नल और वोईड है। तथा प्रतिवादीगण को कथित भूमि पर किसी प्रकार का हक, हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादीगण हिन्दू हैं इन पर विधि लागु होती है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि हिन्दू पुरूष निर्वसीयत संपति छोड़कर मरता है तो वह संपति अनुसूची की प्रथम श्रेणी के नातेदारों को उतराधिकार में न्यायगत होगी तथा प्रथम श्रेणी के नातेदार विधवा पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां है। विधि के अनुसार स्व श्री करणपुरी के विधिवत उतराधिकारी उनकी पत्नी जमनादेवी जो फौत हो चुकी है व तीनो पुत्रीयां वादीगण संख्या 1 लगायत 3 है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया कि श्री करणपुरीजी के कोई औलाद नहीं है जबकि श्री स्व करणपुरीजी के तीन पुत्रियां है, जो वादीगण संख्या 1 लगायत 3 है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विधि विरूद्व जाकर मिलावट कर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया है, जो गलत है तथा यह नामान्तरकरण संख्या 162/71 विधि विरूद्व होने से प्रतिवादी संख्या एक व दो को कथित भूमि पर किसी भी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विधि विरूद्व अवैध रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से वादीगण को पता लगने पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बैचान करने पर उतारू हो गए है। प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम भूमि को बेचान कर देगें ऐसी सुरत में हम वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी तो अंकों में नहीं आंकी जा सकेगी। अत वादीगण के पास यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। बिनायदावा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 02.08.2012 को हमारी माता श्रीमती जमनादेवी के मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ, जब वादीगण मृत्यु की सूचना पटवारी को देने गए तब वादीगण को यह ज्ञात हुआ है कि कथित राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से है तब बमुकाम ग्राम अचलपुर तहसील सांचौर में उत्पन्न हुआ है।

प्रकरण दिनांक 22.08.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादी 1 व 2 गुलाबपुरी, मोहनपुरी उपस्थित आये तथा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीयागण क्रमांक 1 से 3 स्व. करणपुरी पुत्र नवलपुरी, जाति–स्वामी, निवासी–अचलपुर, की जायन्दा पुत्रियां है। वादीयागण ने उक्त अवतरण में जो वंशावली उल्लेखित की है, वो मिथ्या होने से अस्वीकार है। यह कहना सर्वदा मिथ्या है कि वादीयागण करणपुरी की जायन्दा पुत्रियां हो। वादीया केशपुरी वल्द जीवापुरी जाति–गोस्वामी, साकिन–अचलपुर हाल बियोक, तालुका–थराद, जिला–बनासकांठा की जायन्दा पुत्रियां है। वादीयागण की माता व केशपुरी [illegible] की वादीयागण [illegible]काल में ही मृत्यु हो गई थी तथा करणपुरी की पत्नी जमनादेवी ने उनका लालन [illegible] कर[illegible] की थी। इसलिए वादीयागण शुरू से जमनादेवी को ही माता समझती थी मगर वादीयागण [illegible] करणपुरी के काकाई भाई केशपुरी की जायन्दा पुत्रियां है। [illegible] के जिन्देजी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गई थी तथा गुजरात में अपने मामा के घर [illegible] गायब हो गई थी। जमनादेवी के गायब होने के बाद उसे जगह–जगह तलाशा गया, मगर आठ–दस वर्ष तक उसका कोई अता पता नहीं चला। इस दरम्यान करणपुरी की मृत्यु हो गई। करणपुरी की मृत्यु से आठ वर्ष पूर्व जमनादेवी के गुम होने व उनके जिन्दा होने के कोई प्रमाण नहीं होने एवं स्व. करणपुरी को कोई जायन्दा संतान नहीं होने से करणपुरी के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 162/71 करणपुरी के भाई के पुत्रगण व सगे भतीज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम नियमानुसार भरा जाकर पारित किया गया। वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 249 रकबा 53 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 539 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, जुमले रकबा 84 बीघा 3 बिस्वा, नवीन खसरा संख्या 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा संख्या 499 रकबा 8.63 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम चाही सोयम वाकें सरहद मौजा कैलाशनगर पुराना राजस्व ग्राम अचलपुर में खेत खसरा संख्या 1115 रकबा 4.67 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम चाही सोयम, खसरा नंबर 1115/1244 रकबा 0.01 हैक्टेयर ग्राम अचलपुर का मूल खातेदार प्रतिवादीगण का दादा नवपुरी वल्द जगमालपुरी, जाति–गोस्वामी, साकिन–अचलपुर था। नवपुरी वल्द जगमालपुरी गौस्वामी के दो जायन्दा पुत्र करणपुरी, रामपुरी पिसरान नवपुरी थे, जो दोनों फौत हो गये है। नवपुरी की मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी उतराधिकार में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता व बड़े बाप क्रमशः रामपुरी व करणपुरी को उतराधिकारिता प्राप्त हुई जिस पर दोनों भाई समान रूप से खेती किया करते थे व दोनों का हिस्सा बराबर था। हालांकि राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटि से रामपुरी का नाम इन्द्राज नहीं हुआ था, मगर नवपुरी की मृत्यु के बाद हकीकत में वादग्रस्त भूमि दोनों भाइयों के शामलाती खातेदारी में दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामपुरी, करणपुरी से पूर्व फौत हुए थे तथा सन् 1971 में करणपुरी भी नाऔलाद फौत हुआ है तब वादग्रस्त आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 162/71 करणपुरी के कोई जायन्दा संतान नहीं होने की वजह से स्व. करणपुरी के सगे भाई के बेटे व करणपुरी के सगे भतीज गुलाबपुरी, मोहनपुरी पिसरान रामपुरी के नाम भरा गया तथा नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा मृतवफी करणपुरी के उताराधिकारियों की पूर्ण तहकीकात करने के उपरान्त करणपुरी के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से एवं करणपुरी विधवा जमनादेवी के आठ वर्षों से गुम होने तथा इस अन्तराल में उनके जीवित होनें का प्रमाण नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम भरे गये नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 18.08.1971 को उनके द्वारा पारित किया गया। जिसको विगत 42 वर्षों में किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 2 वादग्रस्त आराजी पर आज से 42 वर्ष पूर्व राजस्व रेकर्ड में विधिसम्मत खातेदार के रूप में अन्दर शांतिपूर्वक काबिजकाश्त है व तब से प्रतिवादी संख्या 1 को राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है तथा विगत 42 वर्षों के अन्तराल में उक्त म्यूटेशन संख्या 162/71 को किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज दिन तक चैलेंज नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार करणपुरी के बजाय नवपुरी वल्द जगमालपुरी गोस्वामी थे। जिनकी मृत्यु के बाद करणपुरी एवं रामपुरी दोनों भाइयों को उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई तथा रामपुरी व करणपुरी की मृत्यु के बाद करणपुरी के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से वादग्रस्त आराजी उनके निकटतम वारिस प्रतिवादी संख्या 1, 2 को आज से 42 वर्ष पूर्व उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई है। तब से प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त आराजी में निरन्तर काबिज होकर लगान अदा कर रहे है। यह कहना सर्वदा मिथ्या है कि वादीयागण करणपुरी की जायन्दा पुत्रियां हो बल्कि वादीयागण केशपुरी वल्द जीवापुरी गौस्वामी की जायन्दा पुत्रियां है। जमनादेवी लगभग 15 वर्ष तक गुम रहने के बाद अभी प्रतिवादी संख्या 1, 2 को द्वारका से मिली थी, जो मिलने के बाद अपने इंतकाल तक प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ रही मिलने के बाद अपने [illegible] प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने इनकी अटूट सेवा चाकरी की व इन्तकाल के बाद [illegible] जमना [illegible] के कोई जायन्दा पुत्र पुत्रियां नहीं होने से पुत्रगण के रूप में प्रतिवादी संख्या [illegible] व श्राद्वकाज किया व सारा भंडारा का खर्चा प्रतिवादी [illegible] 1, 2 [illegible]। इस प्रकार वर्तमान में नर्मदा नहर की कीमते बढ़ जाने से व वादीयागण द्वारा बाल्यक[illegible] अपनी जायन्दा माता व केशपुरी की पत्नी के देहान्त के बाद करणपुरी की पत्नी जमनादेवी के पास लालन पालन पाकर बड़ी होने के कारण पुत्री के रूप में करणपुरी के वादग्रस्त भूमि का क्लेम कर रही है जो कतई निराधार है। वादीयागण केशपुरी की जायन्दा पुत्रियां होने से मात्र करणपुरी के परिवार में लालन पालन पाने के आधार पर करणपुरी की मालियत का किसी प्रकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

सहदायिक अधिकार विधित अर्जित नहीं करती है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीयागण का दावा निराधार है। करणपुरी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 करणपुरी का छोटा मोटा काम किया करते हो बल्कि करणपुरी के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से करणपुरी ताजिन्दगी अपने भाई रामपुरी व रामपुरी की मृत्यु के पश्चात अपने जीवनकाल तक अपने सगे भतीज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ रहे। यह कहना भी सर्वदा मिथ्या है कि वादीयागण की शादी के बाद जमनादेवी में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पांति पर काश्त करने दी हो। परन्तु वास्तविकता यह है कि करणपुरी के विवाहिता पत्नी लगभग 8 वर्षों तक गुम हो जाने व करणपुरी के कोई जायन्दा संतान नहीं होने से व शेष रही ताउम्र अपने भाई रामपुरी व रामपुरी के पुत्रगण अपने भतीज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ रहा तथा वादग्रस्त आराजी की सार संभाल व कब्जा काश्त से सदैव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास रहा तथा करणपुरी की फौतेदगी के बाद विगत 42 वर्षों से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बतौर खातेदारान् वादग्रस्त भूमि में खेती कर रहे है। द्वितीय सेटलमेंट में वादग्रस्त भूमि के नवीन पर्चा लगान भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जारी हुए है उसे भी आज 20 वर्ष होनें को आये है। इसको भी कभी वादीयागण या किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादग्रस्त आराजी का आपस में भू–विभाजन कर लिया जो दोनों भाइयों ने आपस में राजी खुशी किया है। वांके सरहद मौजा अचलपुर का खेत खसरा संख्या 1115 रकबा 4.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1115/1244 रकबा 0.01 हैक्टेयर, जो पुराना खसरा नंबर 539 का भू–भाग है। प्रतिवादी संख्या 2 मोहनपुरी के बंट का है जबकि वांके सरहद मौजा कैलाशनगर पुराना राजस्व गांव अचलपुर का खेत खसरा नंबर 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खेत खसरा नंबर 499 रकबा 8.63 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम चाही सोयम, जो खेत पुराना खसरा संख्या 249 रकबा 53 बीघा 8 बिस्वा का भू–भाग है, प्रतिवादी गुलाबपुरी के हिस्से का भू भाग है। करणपुरी की मृत्यु के बाद जमनादेवी को हल्का पटवारी के पास लेकर गये हो। करणुपरी की मृत्यु के बाद दिनांक 18.08.1971 को भर कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 162/71 स्व. करणपुरी की कोई जायन्दा औलाद नहीं होने व विधवा के विगत 8 वर्षों से गुम होने से नियमानुसार स्व. करणपुरी के निकटतम वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम भरकर पारित किया गया है। वादीयागण ने सिर्फ अपनी बाल्यकाल में करणपुरी की पत्नी जमनादेवी के हाथ से लालन पालन पाकर बड़ी होने के आधार पर वर्तमान में नहर आने से लोभ में आकर यह मिथ्या वाद पेश किया है, जो आधारहीन व सारहीन है। वादीयागण करणपुरी की जायन्दा पुत्रियां ही नहीं होकर केशपुरी वल्द जीवापुरी, करणपुरी के काकाई भाई की जायन्दा पुत्रियां है। ऐसी अवस्था में उक्त भूमि स्व करणपुरी के नाऔलाद फौत होने पर उनके निकटतम वारिसत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम भरा जाकर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 162/71 विधिक तौर पर भरा गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीयागण के साथ किसी प्रकार का कोई विश्वासघात नहीं किया है तथा म्यूटेशन संख्या 162/71 स्व. करणपुरी के कोई जायन्दा औलाद, विधवा के 8 वर्ष पूर्व गुम हो जाने से व जिन्दा होनें बाबत् 8 वर्षों में कोई प्रमाण नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] बिल्कुल सही रूप से भरा जाकर कानूनी रूप से पारित किया है जो किसी [illegible] 42 वर्ष पश्चात खारिज नहीं किया जा सकता। अतः जवाबदावा प्रतिवादी [illegible] से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीयागण का वाद आधारहीन व सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकमा 1, 2, 3 व 4 लगायत 7 [illegible]जूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू यह तय किया जाना है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

1. आया वांके सरहद मौजा अचलपुर के खेत खसरा संख्या 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 499 रकबा 8.63 हैक्टेयर व मौजा कैलाशनगर के खेत खसरा संख्या 1115 रकबा 4.67 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1115/1244 भूमि वादीयागण की पैतृक संपति होने से वादीयागण खातेदारी पाने की हकदार है।

2. आया नामान्तरकरण संख्या 162/71 विधि विरूद्व होने से वादीयागण निरस्त फरमाने की हकदार है।

3. आया वादीया स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार है।

4. आया वादीयागण करणपुरी की जायन्दा पुत्रीयां नहीं है।

5. आया वादीयागण केशपुरी पुत्र जीवापुरी की पुत्रीया है।

6. आया वादीया का वाद म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।

इस संबंध में वादीया शांताबेन ने पीडब्ल्यू–1 न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयान देकर बताया कि मैं स्व. करणपुरी पुत्र श्री नवपुरी, कौम–स्वामी, निवासी–अचलपुर की जायन्दा वारिस/उतराधिकारी हुं व मेरी दो बहने शोभाग व हीराबेन है तथा हमारी माता जमना देवी बैवा करणपुरी का देहान्त दिनांक 02.08.2012 को हो चुका है। मौजा अचलपुर के खेत खसरा संख्या 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 499 रकबा 8.63 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा संख्या 249 रकबा 53 बीघा 08 बिस्वा है तथा मौजा कैलाशनगर के खसरा संख्या 1115 रकबा 4.67 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1115/1244 रकबा 0.01 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा संख्या 539 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा है। करणपुरी की मृत्यु के पश्चात हम तीनों पुत्रीयां नाबालिग थी तथा करणपुरी की मृत्यु के बाद उनके पिछे वारिशदार पत्नी जमनादेवी एवं हम तीन बहने अब करणपुरी व उनकी पत्नी अर्थात् हमारी माता जमनादेवी का देहान्त होने के बाद उनके वारिशदार है। उक्त के सबंध में मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 1 नामान्तरकरण संख्या 162 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत् 2026–2029 प्रदर्श–3, जमाबंदी प्रदर्श 4, 5, 7 व नक्शा प्रदर्श–6, शपथ–पत्र शांताबेन प्रदर्श–8, जमाबंदी प्रदर्श–11 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–13, हल्का पटवारी अचलपुर द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श–14, जमाबंदी संवत् 2066–2069 प्रदर्श–15, शपथ–पत्र केसपुरी प्रदर्श–16, प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत प्रदर्श–17, शपथ–पत्र प्रतापपुरी प्रदर्श–18, शपथ–पत्र शंभुपुरी प्रदर्श–19, शपथ–पत्र हदाराम प्रदर्श–20, शपथ–पत्र गणपतसिंह प्रदर्श–21, शपथ–पत्र कल्याणसिंह प्रदर्श–22, शपथ–पत्र अखेसिंह प्रदर्श–23, शपथ–पत्र कानसिंह प्रदश–24, शपथ–पत्र नारायणसिंह प्रदर्श–25, शपथ पत्र देवीसिंह प्रदर्श–26, शपथ पत्र मगसिंह प्रदर्श–27, शपथ पत्र प्रदर्श–12 जन्म प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र सुरजसिंह प्रदर्श–28, जन्म प्रमाण शोभाग बेन प्रदर्श–30, जन्म प्रमाण पत्र हिराबेन प्रदर्श–32, पेश कर अपने ब्यानों में बताया कि स्व. करणपुरी की मैं मेरी दो सगी बहने सोभाग व हीरा बेन पुत्रीयां है। हमारी माता का नाम जमना था जो फौत हो चुकी है तथा मौजा अचलपुर में खेत खसरा संख्या 498, 499 जिसके पुराने [illegible] व इसी प्रकार मौजा कैलाशनगर में खसरा संख्या 1115, 1115/1244 जिसके पुराना [illegible] 539 थे। उक्त आराजी प्रथम सेटलमेंट में हमारे स्व. पिता करणपुरी पुत्र नवपुरी [illegible] भूमि में हम वादीगण का काश्त कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी का [illegible]पुरी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से करणपुरी के भाई रामपुरी के पुत्र गुलाबपुरी व मो[illegible]री किया करते थे तथा गुलाबपुरी व मोहनपुरी ने उक्त आराजी का हमारे नाम राजस्व [illegible]र्ड में इन्द्राज करावने की बजाय खुद के नाम इन्द्राज करवा दिया हम तीनों बहने अनपढ़ थी तथा उस वक्त नाबालिग थी तथा माता जमना देवी का देहान्त 02.08.2012 को हो गया जिस पर उक्त आराजी उनके नाम होने की हमे जानकारी हुई हम हिन्दू विधि से शामिल होने से स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

करणपुरी की हम जायन्दा पुत्रियां होने से उक्त आराजी में हमारा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत हक बनता है इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–2 शोभाग ने भी अपने सशपथ बयानों में बताया की स्व. करणपुरी पुत्र नवलपुरी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है तथा स्व. करणपुरी के मात्र हम वादीयागण पुत्रियां है तथा करणपुरी की उक्त आराजी में हमारा बाय बर्थ हक व हिस्सा है इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–3 हिराबेन पुत्री करणसिंह ने भी अपने सशपथ बयानों में करणपुरी की पुत्री होना व उक्त वादग्रस्त आराजी उसकी पैतृक संपति होना बताया व इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–4 वाघभारती ने भी उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में बताया की स्व. करणपुरी का में काकाई साला का बेटा हुं। स्व. करणपुरी के शांताबेन, शोभाग, व हीरा बेन तीन पुत्रियां है तथा इनकी पत्नी मेरी भुआ जमना देवी का भी स्वर्गवास हो गया है करणपुरी के नाम से मौजा अचलपुर व कैलाशनगर में खेत आये हुए है जिसमें मोहनपुरी व गुलाबपुरी ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा दी है। प्रकरण में प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण की और से शहादत पेश करना नहीं चाहा जिस पर शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहरते हुए बहस में निवेदन किया कि वादीया शांताबेन, शोभाग व हीराबेन तीनों स्व. करणपुरी पुत्र नवलपुरी की जायन्दा पुत्रीयां है तथा वादीयागण हिन्दू विधि शासित होने से स्व. करणपुरी की संपति में उनका बाय बर्थ हक व हिस्सा निहित होने से मौजा अचलपुर व कैलाशनगर में वादीयागण की पैतृक संपति के खेत खसरा संख्या 498, 499, 1115, 1115/1244 की भूमि आयी हुई है करणपुरी की फौतेदगी के पश्चात उक्त आराजी में वादीयागण का हक व हिस्सा होने के बावजूद गुलाबपुरी व मोहनपुरी ने अवैध तरीके से उक्त आराजी का नामान्तरकरण उनके नाम करवाकर अवैध तरीके से कानून से विपरीत जाकर उनके नाम खातेदारी प्राप्त कर ली जो काबिल निरस्त है।

अतः वाके सहरद मौजा अचलपुर के खेत खसरा संख्या 498 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 499 रकबा 8.63 हैक्टेयर व मौजा कैलाशनगर के खेत खसरा संख्या 115 रकबा 4.67 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1115/1244 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावें तथा नामान्तरकरण संख्या 162/71 विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहरते हुए निवेदन किया कि वादीया द्वारा गलत व मिथ्या वंशावली पेश की गई वादीया स्व. करणपुरी की जायन्दा पुत्रीया न होकर वादीया केशपुरी वल्द जीवा पुरी जाति–गोस्वामी साकिन–अचलपुर हाल बियोक तालुका–थराद जिला–बनासकांठा की जायन्दा पुत्रीयां है तथा वादीयागण की माता व केशपुरी की पत्नी का वादीयागण के बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी तथा करणपुरी की पत्नी जमना देवी ने लालन पालन कर उसे बड़ी की थी तथा वादीयागण शुरू से ही जमना देवी को अपनी मात [illegible] थी वादीया स्व. करणपुरी के चाचाई भाई केशपुरी की जायन्दा पुत्रीयां है जमनादेवी स्व. करणपुरी के [illegible] मानसिक बीमारी से ग्रसीत हो गई थी तथा गुजरात में अपने मा [illegible] गई [illegible] जमना देवी के नहीं मिलने पर उस दरम्यान करणपुरी की मृत्यु हो गई [illegible] होने से होने का कोई प्रमाण नहीं होने से तथा करणपुरी की कोई जायन्दा संतान [illegible] के भाई के करणपुरी के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी जरीये म्यूटेशन संख्या 162/71 करण [illegible] के भाई के पुत्रगण सगे भतीज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज कर दी गई तब से लगातार आज दिन तक उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीयागण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 162 जो दिनांक 18.08.1971 को भरा गया था जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

करीब 42 वर्षो तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है इस कारण वादीया का वाद म्याद बाहर होने से तथा वादीया द्वारा स्व करणपुरी की पुत्रियां होने बाबत् किसी भी सक्षम न्यायालय से जारी प्रमाण पत्र पेश नही करने से वादीयागण का वाद काबिल निरस्त है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादीयागण की और से प्रस्तुत वाद के पेज संख्या 4 के पेरा संख्या 17(2) की और ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि वादीयागण द्वारा उक्त वाद में नामान्तरकरण संख्या 162/71 को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही गई है जो धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से वादीयागण का वाद काबिल निरस्त होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में तनकीयात निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है :–

<u>तनकी संख्या 01 :–</u> इस संबंध में वादीया द्वारा मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–1, नामान्तरकरण प्रदर्श–2, जमाबंदी प्रदर्श–3, जमाबंदी प्रदर्श–4, जमाबंदी प्रदर्श–5, नक्शा ट्रैश प्रदर्श–6, जमाबंदी प्रदर्श–7, शपथ–पत्र शांताबेन प्रदर्श–8, मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–9, वोटर आई डी प्रदर्श–29–31, वॉटर आई डी प्रदर्श–10, शपथ–पत्र केशपुरी प्रदर्श–16, शपथ–पत्र प्रतापपुरी प्रदर्श–18, शपथ–पत्र शंभुपुरी प्रदर्श–19, शपथपत्र प्रदर्श–20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, प्रदर्श प्रदर्शित करवाए तथा गवाह पीडब्ल्यू–1 शांताबेन, पीडब्ल्यू–2 शौभाग, पीडब्ल्यू–3 हीराबेन के बयान कलमबद्व करवाये तथा सभी गवाहान ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में वादीयागण स्व. करणपुरी की पुत्रियें होना बताया है तथा वादीया द्वारा प्रदर्श–14 हल्का पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश कर वादीयागण शांताबेन, शौभाग, हीराबेन को स्व. करणपुरी की पुत्रियां होना बताया गया है। इस प्रकार वादीयागण द्वारा स्वयं को स्व. करणपुरी की पुत्रियां होना बताकर वांके सरहद मौजा अचलपुर के खेत खसरा संख्या 498, 499 तथा मौजा केलाशनगर के खेत खसरा संख्या 1115, 1115/1244 की भूमि अपनी पैतृक संपति मानते हुए उक्त आराजी में खातेदारी चाही गई है, किन्तु वादीयागण द्वारा हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज या सक्षम न्यायालय से जारी उतराधिकारी प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जावें कि वादीयागण स्व. करणपुरी की जायंदा पुत्रियें हो वादीयागण द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श 31, 10, 29 वॉटर आई डी कार्ड पेश किये गये है जो उक्त वॉटर आई डी कार्ड ग्राम करबोण व चांगड़ा के होना प्रमाणित है तथा उक्त तीनों वॉटर आई डी कार्ड ग्राम चांगड़ा व करबोण, तहसील–थराद, जिला बनासकांठा (गुजरात) के होना प्रमाणित है इससे भी यह संदेह है कि वादीयागण ग्राम अचलपुर की निवासी नहीं है व इसी प्रकार वादीया द्वारा प्रदर्श–14 हल्का पटवारी अचलपुर द्वारा बनाये प्रमाण पत्र पेश किया गया है किन्तु ऐसा प्रमाण पत्र हल्का पटवारी अचलपुर या किसी भी राजस्व एजेन्सी को जारी करने का अधिकार नहीं होने से उक्त प्रदर्श–14 पर विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में वादीयागण उपरोक्त आराजी उनकी पैतृक संपति होना साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 1 वादीयागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :–</u> उक्त तनकी को [illegible] का जिम्मा वादीयागण पर होने से इस संबंध में वादीयागण द्वारा [illegible] नामान्तरकरण 162/71 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है [illegible] इस संबंध में वादीयागण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 162/71 को कानूनन किसी भी [illegible] न्यायालय के समक्ष चेलेंज न कर हस्तगत वाद के जरिये उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने की इस्तदुआ चाहते है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार से परे होने से तनकी संख्या 02 वादीयागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

<u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा भी वादीयागण पर होने से वादीया द्वारा अपने सशपथ बयानों में बताया कि स्व. करणपुरी की मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीयागण का लगातार काश्त कब्जा चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण गुलाबपुरी उनके कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि वादीयागण स्व. करणपुरी की पुत्रियें होना साबित करने में असफल रही है तथा हस्तगत वाद में वादीयागण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज हस्तगत प्रकरण में पेश नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पर वादीयागण कब्जा काश्त हो ऐसी सूरत में कब्जे काश्त के अभाव में वादीयागण स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार नहीं होने से उक्त तनकी वादीयागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है किन्तु तनकी संख्या 4 का निर्णय तनकी संख्या 1 में दिया जा चुका है तथा वादीयागण करणपुरी की पुत्रियें होना साबित करने में असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीयागण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं

<u>तनकी संख्या 05 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है किन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत हस्तगत वाद में पेश नहीं किया है जिससे वादीयागण केशपुरी पुत्र जीवपुरी की पुत्रियें होना साबित होता हो ऐसी सुरत में उक्त तनकी वादीयागण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में अपने जवाब में बताया कि करणपुरी को फौत हुए करीब 55 वर्ष हो चुके है तथा इतने लंबे अंतराल के बाद वादीयागण द्वारा सन् 2012 में वाद पेश किया गया है जो स्पष्टतयाः म्याद बाहर है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीयागण की ओर से पेश प्रस्तुत दस्तावेज की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए बहस में बताया कि संवत् 2026 से लगातार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हम प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। वादीयागण द्वारा आज दिन तक प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए नामान्तरकरण को चेलेन्ज नहीं किया है इससे भी साफ जाहिर है कि वादीयागण द्वारा उक्त वाद म्याद के बाहर पेश किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादीयागण द्वारा उक्त वाद करीब 55 वर्ष की अवधि के पश्चात पेश किया गया है जो स्पष्टतया म्याद बाहर होने से वादीयागण का वाद म्याद बाहर होने से तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीयागण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः वादीयागण का वाद वादीयागण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से वादीयागण का वाद खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:58:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रट्रेक) सांचौर

फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर ★ जिला जालोर ★

निर्णय आज दिनांक **13.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रट्रेक) सांचौर

फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर ★ जिला जालोर ★